लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 1761
उत्तर देने की तारीखः 02.07.2019

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

1761. श्री चुन्नी लाल साहूः

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की तर्ज पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) को और अधिक शक्तियां देने का विचार है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने एनसीबीसी को सुदृढ़ करने और इसे और अधिक सशक्त बनाने के लिए कोई कदम उठाए हैं/उठाने का विचार है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री कृष्णपाल गुर्जर)

(क) से (घ): संविधान (एक सौ दोवां संशोधन) अधिनियम, 2018 के माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 338ख अंतर्विष्ट करके 15.08.2018 से एक संवैधानिक निकाय के रूप में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) का पुनर्गठन किया गया है। इस समय, अनुच्छेद 338ख के अनुसार एनसीबीसी को प्राप्त शक्तियां वही हैं, जो अनुच्छेद 338 के अनुसार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को प्राप्त हैं।

***